न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी

पीठासीन अधिकारी–श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (RAS)
राजस्व विविध मुकदमा संख्या– 14/2019
तारीख निर्णय– 31/10/2019

प्रार्थी :–

1. कानुबाई पुत्र लखमारामजी पत्नी मूलाराम निवासी–गुडाजाटान हाल–सादडी
2. कन्या पुत्री लखमाराम पत्नी खीमराज निवासी–गुडाजाटन हाल–मुण्डारा जातिगण–घॉची

–: बनाम :–

अप्रार्थीगण–

1. पेमाराम पुत्र लखमारामजी
2. मोहनलाल पुत्र लखमाराम
3. रताराम पुत्र लखमाराम
4. तलछी पत्नी लखमाराम
   निवासीगण–गुडाजाटान जातिगण–घॉची
5. राजस्थान सरकार(भूमिधारी) जरिये तहसीलदार देसूरी जिला–पाली

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आर्डर 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रकिया संहिता

उपस्थिति–

1– प्रार्थी की ओर से– वकील मुकेश कुमार दवे।
2–अप्रार्थीगण संख्या–1 से 4 विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक 30.10.2019

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित आर्डर 39 नियम 1 व 2 दीवानी प्रकिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम गुडा जाटान पटवार हल्का गुडाजाटान तहसील–देसूरी मे स्थित आराजियात नये खसरा नम्बर 250 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 256 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 257 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 259 रकबा 0.30 हैक्टर,

पेज लगातार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

खसरा नम्बर 260 रकबा 0.44 हैक्टर, कुल खसरा 7 कुल रकबा 2.14 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल राजस्व लगान रूपया 60.91 पैसा वार्षिक में 1/2 आधा हिस्सा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1,2,3, के पिता लखमाराम जी व अप्रार्थी संख्या 4 के पति स्व. लखमाराम पुत्र मनाजी की खातेदारी के काश्त कब्जासुद विधमान है। तथा 1/2 कीका पुत्र मनाजी की खातेदारी विधमान है।जो कि जमाबन्दी सम्बत 2047 से 2062 तक एवं सम्वत 2073 से 2076 व मिशन बंदोबस्त सम्वत 2041 से 2060 तक की प्रतिलिपि पेश है।

तथा मौजा सरहद ग्राम जोबा पटवार हल्का गुडा जाटान तहसील देसूरी स्थित अराजियात नये खसरा नम्बर 86 रकबा 1.38 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 89 रकबा 1.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 90 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 91 रकबा 0.67 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 4.98 हैक्टर किस्म बारानी दोयम राजस्व लगान रूपया 24.90 हैक्टर मे 1/4हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 1 से 3 के पिता व अप्रार्थी 4 के पति स्वर्गीय लखमाराम पुत्र मनाजी की खातेदारी व काश्त कब्जासुद विधमान रहे है। जो जमाबन्दी एव मिशल बन्दोबस्त सवत 2041 व 2060 मे दर्ज है।

स्वर्गीय लखमाराम के देहावसान के बाद उनके वारिसान में उनकी पत्नी अप्रार्थी संख्या 4 तलछी उनके तीन पुत्र अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 3 पेमाराम मोहनलाल रताराम व उनकी चार पुत्रीय स्वर्गीय लखमाराम के वारिसान हुए। किन्तु हल्का पटवारी ने स्वर्गीय लखमाराम का फौतगी नामान्तरकरण स्वर्गीय लखमाराम की पत्नी तलछी, पुत्र पेमाराम, मोहनलाल, रताराम का नाम दर्ज किये परन्तु लखमाराम की पुत्रिया के नाम नामान्तरकरण दर्ज नही किया गया। जिसके कारण ग्राम गुडा जाटान स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 250, 251, 255, 256, 257, 259, 260, कुल रकबा 2.14 हैक्टर कुल आराजियात मे अप्राथीगण संख्या 1 से 4 के प्रत्येक का 1/8 वॉ हिस्सा दर्ज हो गया है।जबकि वाद ग्रस्त आराजियात मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 प्रत्येक का 1/16 हिस्सा आना चाहिए था। तथा ग्रम जोबा स्थित आराजियात खसरा नम्बर 86 87 88 89 90 91 कुल रकबा 4.98 हैक्टर कुल आराजियात मे प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के प्रत्येक का 1/16 वा हिस्सा दर्ज हो गया है जबकि प्रत्येक का आराजियात में 1/32 हिस्सा आना चाहिए था।

ऐसी स्थिति अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात के अन्तरण करने से रोका जाना नितांत आवश्यक हो गया है व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक हो गया है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश प्रदान करावें।

पेज लगातार 3 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस प्रार्थी के अधिवक्ता सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद–पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

प्रथम दृष्ट्या मामला :– प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवाद ग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सख्या 1 से 3 के पिता व अप्रार्थी संख्या 4 के पति लखमाराम की कृषि भूमि ग्राम गुडाजाटन पटवार हल्का गुडाजाटन के खसरा नम्बर 250, 251, 255, 256, 257, 259, 260, कुल रकबा 2.14 हैक्टर मे हिस्सा 1/2तथा ग्राम जोबा के खसरा नम्बर 86 87 88 89 90 91 कुल रकबा 4.98 हैक्टर मे हिस्सा 1/4 हिस्सा था।जिससे स्वर्गीय लखमाराम का फौतगी नामान्तरण मे प्रार्थी व अप्रार्थीगण का नाम दर्ज होना चाहिए था। परन्तु नामान्तरण मे लखमाराम की पुत्रिया के नमा नामान्तरकरण मे दर्ज नही किया गया, जो कि प्रार्थीगण का बर्थ राईट् था। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। राजस्व रिकोर्ड में सिर्फ अप्रार्थीगण का नाम इन्द्राजात करने से अप्रार्थीगण वाद ग्रस्त आराजियात को अन्य को अन्तरित करने प्रार्थी को ज्यादा असुविधा व वाद विवाद बढने की पूर्ण सम्भावना रहेगी। अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्राथीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को अधिक असुविधा होगी जिससे प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। तथा वकील प्रार्थी को सुना गया। वादग्रस्त आराजी के मुकदमे की सुनवाई होकर निर्णय होने में काफी समय लगेगा इस दौरान यदि आराजियात का अन्तरण हो गया तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्याकन नही किया जायेगा।ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को उपरोक्त आराजियात के अन्तरण करने से रोका जाना आवश्यक है। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

उपरोक्त विवेचन मे मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है, इसी अनुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित है एवं दौराने वाद वादग्रस्त आराजियात को खुर्द बुर्द आगे हस्तान्तरण किये जाने की सूरत मे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है अतएवं

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 01 से 04 के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि– कृषि भूमि ग्राम गुडाजाटन पटवार हल्का गुडाजाटन के खसरा नम्बर 250, 251, 255, 256, 257, 259, 260, कुल रकबा 2.14 हैक्टर मे हिस्सा 1/2 तथा ग्राम जोबा के खसरा नम्बर 86 87 88 89 90 91 कुल रकबा 4.98 हैक्टर मे हिस्सा 1/4 हिस्सा की मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–31/10/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देसूरी

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2020.07.10 14:21:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: